

पोत परिवहन मंत्रालय

मांग संख्या 86

पोत परिवहन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	196.01	741.50	937.51	102.44	867.36	969.80	115.40	1187.03	1302.43	
	394.24	-31.50	362.74	257.56	-16.50	241.06	479.60	-26.50	453.10	
	590.25	710.00	1300.25	360.00	850.86	1210.86	595.00	1160.53	1755.53	
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं पत्तन और दीपस्तंभ पत्तन	3451	...	12.37	12.37	...	17.64	17.64	...	24.53	24.53
2. कोचीन पत्तन न्यास की रेल संयोजिकता परियोजना	5051	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	45.00	...	45.00
3. कोचीन पत्तन न्यास की बड़ी तलकषण परियोजना	5051	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	99.97	...	99.97
4. पारादीप पत्तन न्यास की बड़ी तलकषण परियोजना	5051	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
5. विशाखापटनम पत्तन न्यास को ऋण (ईएपी-जेबीआईएसी)	7051	6.00	...	6.00	0.36	...	0.36	0.01	...	0.01
6. तृतीकोरिन पत्तन न्यास की बड़ी तलकषण परियोजना	5051	0.99	...	0.99	0.99	...	0.99	5.00	...	5.00
7. इनौर पत्तन न्यास की बड़ी तलकषण परियोजना	5051	0.50	...	0.50	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
8. तलकषण और सर्वेक्षण संगठन	3051	...	404.73	404.73	...	522.92	522.92	...	489.87	489.87
9. लघु पत्तनों का विकास	5051	96.00	...	96.00	45.39	...	45.39	65.00	...	65.00
	3601	0.98	...	0.98	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
	जोड़	96.98	...	96.98	45.40	...	45.40	66.00	...	66.00
10. अन्य व्यय जोड़ - पत्तन दीप स्तंभ	3051	6.80	25.53	32.33	0.33	24.23	24.56	2.90	29.63	32.53
		251.28	430.26	681.54	187.10	547.15	734.25	218.90	519.50	738.40
11. निदेशन और प्रशासन	3051	...	14.69	14.69	...	19.90	19.90	...	19.43	19.43
12. दीप स्तंभ और दीप पोत		...	100.31	100.31	...	115.10	115.10	...	120.57	120.57
12.01 सकल कार्यचालन व्यय	3051	...	100.31	100.31	...	115.10	115.10	...	120.57	120.57
12.02 घटाइए प्राप्तियां निवल	1051	...	-115.00	-115.00	...	-135.00	-135.00	...	-140.00	-140.00
		...	-14.69	-14.69	...	-19.90	-19.90	...	-19.43	-19.43
13. दीप स्तंभ और नौचालन संबंधी अन्य सहायक साधनों का निर्माण और विकास	5051	40.00	-40.00	...	25.00	-25.00	...	40.00	-40.00	...
		40.00	-40.00	...	25.00	-25.00	...	40.00	-40.00	...
जोड़-पत्तन और दीप स्तंभ पोत परिवहन		291.28	390.26	681.54	212.10	522.15	734.25	258.90	479.50	738.40
14. महानिदेशक पोत परिवहन	3052	0.01	35.00	35.01	0.01	39.10	39.11	0.50	40.91	41.41
15. भारतीय सामुद्रिकी विश्वविद्यालय को अनुदान	3052	1.00	1.00	...	9.00	9.00
16. अन्य व्यय	
16.01 भारतीय सामुद्रिकी विश्वविद्यालय का विकास	5052	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00	53.80	...	53.80
16.02 सर्वेक्षण जलयानों की खरीद	5052	79.00	...	79.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
16.03 सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और मछुआरा प्रशिक्षण	5052	1.24	...	1.24	0.40	...	0.40	0.70	...	0.70
	जोड़	81.24	...	81.24	15.40	...	15.40	64.50	...	64.50
पोत निर्माण	
17. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना भिन्न-ऋण		...	8.50	8.50	...	8.50	8.50	...	13.50	13.50
17.01 हुगली डॉक एवं पत्तन इंजीनियर्स लि.	6858	...	8.50	8.50	...	8.50	8.50	...	13.50	13.50
18. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.को स्थापना और अन्य व्यय के लिए अनुदान	2852	14.00	14.00
19. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन		...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
19.01 सीआईडब्ल्यूटीसी	3056	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
20. अन्य सब्सिडियां		...	120.00	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00
20.01 कोचीन शिपयार्ड लि.	2852	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00
20.02 एच एस एल	2852	...	50.01	50.01	...	50.01	50.01	...	55.00	55.00
20.03 गैर-केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र शिपयार्ड	2852	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	370.53	370.53
	जोड़	...	230.01	230.01	...	230.01	230.01	...	545.53	545.53

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
21. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र को सहायता	2852	6.00	3.80	9.80	2.15	2.40	4.55	0.50	3.80	4.30
22. अन्य व्यय	2852	2.20	7.00	9.20	0.92	7.00	7.92	0.50	...	0.50
जोड़		8.20	10.80	19.00	3.07	9.40	12.47	1.00	3.80	4.80
जोड़-पोत परिवहन		89.45	284.32	373.77	18.48	288.02	306.50	66.00	626.74	692.74
23. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5075	7.50	...	7.50	2.50	...	2.50	156.10	...	156.10
24. सरकारी उद्यमों में निवेश	4858	16.00	...	16.00	24.90	...	24.90	2.00	...	2.00
	6858	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
जोड़		22.00	...	22.00	27.90	...	27.90	4.00	...	4.00
<i>अन्तर्देशीय जल परिवहन</i>										
25. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3056	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
26. जल परिवहन सेवाओं का विकास - भारतीय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण को अनुदान	3056	117.00	11.82	128.82	60.00	11.82	71.82	48.00	14.68	62.68
27. सीआईडब्ल्यूटीसी को सांविधिक देयताओं के नकदीकरण के लिए अनुदान	3056	...	9.12	9.12	...	9.12	9.12	...	12.98	12.98
28. अन्य कार्यक्रम	3056	2.00	0.01	2.01	2.00	0.01	2.01	1.00	...	1.00
	3601	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
जोड़		2.02	0.01	2.03	2.02	0.01	2.03	1.00	...	1.00
जोड़-अन्तर्देशीय जल परिवहन अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग		120.02	20.95	140.97	63.02	20.95	83.97	50.00	27.66	77.66
29. बंगला देश को सहायता	3605	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10
30. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	60.00	...	60.00	36.00	...	36.00	60.00	...	60.00
कुल जोड़		590.25	710.00	1300.25	360.00	850.86	1210.86	595.00	1160.53	1755.53
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
<i>पत्तन</i>										
24.01 कोलकाता पत्तन न्यास	13051	...	44.47	44.47	...	46.48	46.48	...	56.00	56.00
24.02 कोचीन पत्तन न्यास	13051	...	115.65	115.65	...	131.83	131.83	...	47.00	47.00
24.03 पारादीप पत्तन	13051	...	287.99	287.99	...	73.61	73.61	...	276.50	276.50
24.04 तूतीकोरीन पत्तन	13051	...	95.88	95.88	...	49.19	49.19	...	215.50	215.50
24.05 जवाहर लाल नेहरु पत्तन	13051	...	175.17	175.17	...	69.92	69.92	...	324.00	324.00
24.06 नया मंगलौर पत्तन	13051	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	34.00	34.00
24.07 चेन्नई पत्तन न्यास	13051	...	72.95	72.95	...	64.15	64.15	...	34.00	34.00
24.08 मुम्बई पत्तन न्यास	13051	...	150.00	150.00	...	91.72	91.72	...	192.00	192.00
24.09 कांडला पत्तन न्यास	13051	...	140.87	140.87	...	57.05	57.05	...	115.00	115.00
24.10 मोरमुगाव पत्तन	13051	...	22.07	22.07	...	34.10	34.10	...	71.00	71.00
24.11 विशाखापत्तन पत्तन	13051	...	33.97	33.97	...	32.82	32.82	...	65.00	65.00
24.12 एन्नोर पत्तन	13051	...	69.50	69.50	...	95.00	95.00	...	95.00	95.00
जोड़ - पत्तन		...	1238.52	1238.52	...	775.87	775.87	...	1525.00	1525.00
24.13 भारतीय तलकषण निगम	13051	...	494.40	494.40	...	170.05	170.05	...	495.50	495.50
24.14 सेतुसमुद्रम पोत परिवहन नहर परियोजना	13075	...	1580.07	1580.07	...	300.00	300.00	...	10.00	10.00
<i>पोत निर्माण</i>										
24.15 हिन्दुस्तान शिपयार्ड	12858	18.00	...	18.00	27.90	...	27.90	2.00	...	2.00
24.16 कोचीन शिपयार्ड	12858	...	354.00	354.00	...	140.00	140.00	...	60.21	60.21
24.17 हुगली डाक और पत्तन इंजीनियरिंग कं. लि.	12858	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00
जोड़ - पोत निर्माण		22.00	354.00	376.00	27.90	140.00	167.90	4.00	60.21	64.21
<i>पोत परिवहन</i>										
24.18 भारतीय पोत परिवहन निगम	13052	...	2342.01	2342.01	...	1235.76	1235.76	...	2408.00	2408.00
जोड़ - सरकारी उद्यमों में कुल निवेश		22.00	6009.00	6031.00	27.90	2621.68	2649.58	4.00	4498.71	4502.71
ग. आयोजना परिव्यय *										
1. इंजीनियरी उद्योग	12858	30.20	354.00	384.20	30.97	140.00	170.97	5.00	60.21	65.21
2. पत्तन और दीप स्तंभ	13051	291.28	1732.92	2024.20	212.10	945.92	1158.02	258.90	2020.50	2279.40
3. नौवहन	13052	98.50	2342.01	2440.51	22.91	1235.76	1258.67	226.10	2408.00	2634.10
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	120.02	...	120.02	63.02	...	63.02	50.00	...	50.00
5. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	...	1580.07	1580.07	...	300.00	300.00	...	10.00	10.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	60.00	...	60.00	36.00	...	36.00	60.00	...	60.00
जोड़		600.00	6009.00	6609.00	365.00	2621.68	2986.68	600.00	4498.71	5098.71
* शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में उपलब्ध कराए गए निर्माण कार्य परिव्यय को मिलाकर।										
मांग संख्या 101	13052	9.75	...	9.75	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00

1. यह प्रावधान पोत परिवहन मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।
2. यह प्रावधान कोचीन पोर्ट ट्रस्ट की रेल संयोजकता परियोजना के लिए है।
3. यह प्रावधान कोचीन पोर्ट ट्रस्ट की तलकर्मण परियोजना के लिए है।
4. यह प्रावधान पारादीप पत्तन न्यास की तलकर्मण गहरा करने की परियोजना है।
5. यह प्रावधान यंत्रिकृत अयस्क व्यवस्था संयंत्र के विकास के लिए विशाखापट्टनम पत्तन न्यास की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए है।
6. यह प्रावधान तूतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट की बड़ी तलकर्मण परियोजना के लिए है।
7. यह प्रावधान एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट की बड़ी तलकर्मण परियोजना के लिए है।
8. यह व्यवस्था कोलकाता पत्तन न्यास को हुगली नदी और हल्दिया जलमार्ग के तलकर्मण और अनुसंधान के लिए अदायगी और लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
9. यह व्यवस्था अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में अवतरण सुविधाओं और जेटियों के निर्माण, तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह में नौ चालन सुविधाओं, अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य हेतु स्थापना प्रभार तथा लघु पत्तनों के विकास हेतु अध्ययन के लिए है।
10. यह आयोजना व्यवस्था अनुसंधान और विकास संबंधी योजनाओं के व्यय के लिए है। यह आयोजना-भिन्न व्यवस्था अंडमान और लक्षद्वीप बन्दरगाह संबंधी निर्माण कार्य आदि के स्थापना प्रभारों के लिए है।
- 11, 12 और 13. दीपस्तम्भ और दीपपोत संगठन सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है, जो नौचालन संबंधी सहायक-साधनों की व्यवस्था करता है, जिनमें बोयास, छोटे पोत, ध्वनि संकेत, रेडियो बीकन आदि शामिल हैं। यह संगठन पोतों के मार्गदर्शन के लिए दीपस्तम्भों का निर्माण और रख-रखाव भी करता है। यह आयोजना व्यवस्था दीप स्तम्भों के निर्माण और विकास पर होने वाले पूंजी व्यय तथा अन्य नौचालन संबंधी सहायक साधनों के लिए है। इसे भारतीय दीपस्तम्भ अधिनियम, 1927 के उपबंधों के अनुसार एकत्रित प्रकाश प्राप्ति से पूरा किया जाता है।
14. यह व्यवस्था नौवहन महानिदेशालय की स्थापना के लिए है जो वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह वाणिज्यिक पोत परिवहन कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए नियमन संबंधी कार्य करता है। यह निदेशालय नाविकों के कल्याण की देख-रेख के अलावा मर्चेंट नेवी के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान करता है। यह आयोजन प्रावधान भारतीय सामुद्रिक अध्ययन संस्थान को आवश्यकता आधारित सहायता देने के लिए है।
15. यह प्रावधान नवसृजित भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय को कुलपति, संकाय सदस्यों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा संस्था चलाने संबंधी खर्च वहन करने के लिए अनुदानों हेतु है।
16. यह प्रावधान भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के परिसर विकास और अवसंरचना प्रयोगशालाओं, छात्रावास सुविधाओं आदि के विकास सहित विस्तार परियोजनाओं के लिए है जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लागू होने के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की संख्या और संकाय क्षमता में वृद्धि के कारण आवश्यक हुआ है।
17. यह व्यवस्था एच.डी.पी.ई. लि. को आयोजना-भिन्न अर्थोपाय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए है ताकि कंपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों में आए अंतर को पूरा करने में सक्षम हो सके।
18. यह प्रावधान रक्षा मंत्रालय को हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की मौजूदा जहाज निर्माण सुविधा के अंतरण की स्थिति में स्थापना और अन्य लागत पूरी करने के लिए है। इसमें नए शिपयार्ड के निर्माण हेतु परामर्शी अध्ययन करने के लिए प्रावधान भी शामिल है।
20. यह प्रावधान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गैस-केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शिपयार्ड्स और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड्स को सब्सिडियों के भुगतान के लिए है।
21. यह प्रावधान पोत निर्माण हेतु अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने और राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।
22. यह प्रावधान पोत अनुषंगी विकास, अध्ययनों, नौ चालन उद्योग को सब्सिडी प्रदान करने और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए है।
23. यह व्यवस्था कोलकाता पत्तन न्यास, सेतुसमुद्रम शिप केनाल परियोजना के नदी विनियामक निर्माण कार्य और बड़े पत्तनों हेतु एक समान तथा वैब आधारित सामुदायिक साझेदारी संदेश के आदान-प्रदान का कार्यान्वयन करने हेतु है।
24. इस व्यवस्था में मुख्य पत्तन न्यासों, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, और हुगली गोदी के आयोजना व्यय के लिए बजटीय सहायता शामिल है। पत्तन न्यासों को आयोजना-सहायता मुख्यतः पत्तनों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए है ताकि वे पत्तन वहां आने वाले पोतों की किस्म और वहां उनके द्वारा लादे/ढोए जाने वाले माल की मात्रा और किस्म के अनुरूप बन सकें और पत्तनों पर वर्तमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के लिए भी सहायता दी जाती है। यह ऋण सहायता वर्तमान सुविधाओं के नवीकरण/प्रतिस्थापन और उनमें वृद्धि करने पर उनका उपयोग करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और हुगली गोदी को दी जाती है।
25. यह व्यवस्था अनुसंधान तथा विकास समेत तकनीकी अध्ययनों के लिए है।
26. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुसंधान और विनियमन तथा देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। प्राधिकरण को दी जा रही अनुदान सहायता का उद्देश्य नदी संरक्षण कार्य, टर्मिनल का निर्माण, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण को नौचालन सहायता और आईडब्ल्यूआई के प्रशासनिक खर्चों के संबंध में व्यय की पूर्ति करना है। प्राधिकरण को आयोजना-भिन्न अनुदान सहायता का उद्देश्य इसकी स्थापना लागत को पूरा करना है।
27. यह व्यवस्था केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड को कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए है।
28. इसमें उनके द्वारा ऋण ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन उद्यमियों को कम ब्याज दर पर दिए गए ऋणों के संबंध में ब्याज विभेदक के लिए वित्तीय संस्थाओं को भुगतान के लिए भी व्यवस्था शामिल है। इस व्यवस्था में केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को नदी संरक्षण हेतु बजटीय सहायता देना भी शामिल है।
29. यह व्यवस्था बंगलादेश सरकार के साथ पारगमन और व्यापार करार के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।
30. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।